

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक ८२ / एक-दो-०१/८२,

सीहोर, दिनांक ०६/०१/२५

प्रति,

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर
2. प्रथम/तृतीय जिला न्यायाधीश, सीहोर
3. प्रथम/द्वितीय जिला न्यायाधीश, आष्टा
4. द्वितीय जिला न्यायाधीश, नसरुल्लागंज
5. जिला न्यायाधीश, बुदनी
6. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सीहोर
7. प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सीहोर
8. प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आष्टा
9. प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आष्टा
10. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज
11. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज
12. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बुदनी
13. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बुदनी
14. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इछावर
15. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सीहोर के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश), सीहोर
16. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश), नसरुल्लागंज, जिला सीहोर
17. अध्यक्ष अभिभाषक संघ सीहोर-इछावर/आष्टा/नसरुल्लागंज एवं बुदनी की ओर वर्ष 2024 का नवीन सिविल कार्य विभाजन आदेश की प्रति आपकी ई-मेल आई.डी. पर सूचनार्थ प्रेषित।
18. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश माननीय महोदय के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें।
19. जे.एस.ए., कम्प्यूटर अनुविभाग, सीहोर की ओर उक्त कार्य विभाजन आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
६ सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

:: कार्य-विभाजन आदेश ::

क्र. 01/एक-दो-1/82

सीहोर, दिनांक :— 08/01/24

मैं, सतीश चंद्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर म0प्र0 व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा—15 उपधारा (1) एवं द.प्र.सं. 1973 की धारा 194, 381 (2) एवं 400 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त कार्य वितरण आदेशों को निरस्त करते हुए, न्यायिक जिला सीहोर हेतु वर्ष 2024 के लिए सिविल एवं दार्ढिक मामलों के बारे में निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ। यह आदेश दिनांक 10.01.2024 से तत्काल प्रभावशील रहेगा, लेकिन विभिन्न न्यायालयों में पूर्व से लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

स.क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु. क्र.	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर (सतीश चंद्र शर्मा)	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	सत्र प्रकरण
			(2)	आपराधिक अपील
			(3)	आपराधिक पुनरीक्षण
			(4)	जमानत आवेदन अंतर्गत धारा, 438, 439 एवं 440 द.प्र.सं. (आरक्षी केन्द्र रेहटी, बुदनी, शाहगंज, आष्टा, जावर, पार्वती, सिद्दीकगंज, भैरुंदा (नसरुल्लागंज) एवं गोपालपुर को छोड़कर)
			(5)	अंतरण आवेदन आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अंतर्गत धारा 408 तथा 409 द.प्र.सं.
			(6)	द.प्र.सं. की धारा 199 (2) से संबंधित प्रकरण।
			(7)	अन्य अधिनियमों के सत्र विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण जो इस कार्य विभाजन पत्रक के द्वारा अन्य न्यायालय को नहीं सौंपे गये हैं।
			(8)	ग्राम न्यायालय सीहोर द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील।
	व्यवहार जिला सीहोर		(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन व विविध कार्यवाहियां जिनका वाद मूल्य रूपये 5,00,00,001/- (पांच करोड़ एक रुपये) से अधिक हो।
			(2)	प्रोविंशियल इन्सोल्वेंसी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये 5,00,00,001/- (पांच करोड़ एक रुपये) से अधिक हो।
			(3)	सार्वजनिक संपत्ति (एविक्षान आफ अनअथोराइज्ड ओक्यूपेन्ट्स) एकट, 1971 से संबंधित अपीलें।
			(4)	व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			(5)	अन्य समस्त व्यवहार मामले जो इस कार्य विभाजन पत्रक के द्वारा अन्य न्यायालयों को नहीं सौंपे गये हैं, तथा जो किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत जिले के प्रधान सिविल न्यायालय अथवा प्रधान जिला न्यायाधीश की श्रवणाधिकारिता के अन्तर्गत आते हों।

			(6)	नियमित एवं विविध व्यवहार अपीले जो कि मुख्यालय सीहोर एवं तहसील इछावर पर पदस्थ समस्त व्य0 न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सीहोर, द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों के विरुद्ध संरिथित की जावे।
	सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीहोर	तहसील सीहोर, श्यामपुर एवं इछावर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र	(1)	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रकरण, जो तहसील सीहोर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मण्डी, बिलकिसगंज एवं तहसील श्यामपुर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र श्यामपुर दोराहा, अहमदपुर एवं तहसील इछावर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र इछावर
	बाल न्यायालय / सत्र न्यायालय सीहोर (विशेष न्यायालय)		(1)	बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालकों के प्रति अपराध या बालक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी अपराध।
	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार न्यायालय / सत्र न्यायालय सीहोर (विशेष न्यायालय)		(1)	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित अपराध।
2	प्रधान जिला न्यायाधीश / विशेष न्यायालय, सीहोर (विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20(ख) के अंतर्गत)	सिविल जिला सीहोर की स्थानीय सीमाएँ	(1)	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20(ख) के अंतर्गत, "अधोसंरचना परियोजना से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने हेतु" (रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक बी/6235 दिनांक 23.12.2023 एवं अधिसूचना भोपाल दिनांक 15.12.2022 कमांक 4779 / 2022 / 21-ब(एक) / 2022)
	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर (श्री सुरेश सिंह)	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण / आपराधिक पुनरीक्षण / आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।
			(2)	अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 से संबंधित सीहोर सत्र खण्ड के विशेष प्रकरण)
			(3)	विशेष सत्र प्रकरण स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के (जो कि अल्प मात्रा से संबंधित न हो) एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र व विविध प्रकरण।
			(4)	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008)(2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत कार्यवाहियां।
	अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीहोर	तहसील सीहोर, श्यामपुर एवं इछावर	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद / व्यवहार अपीलें / आवेदन / अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।
			(1)	मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीहोर से समय-समय पर अंतरण पर प्राप्त हों।

3	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर (श्री संजय कुमार शाही)	सत्र खण्ड सीहोर	<p>(1) सत्र न्यायालय द्वारा समय—समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण /आपराधिक पुनरीक्षण /आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से संबंधित प्रकरण जो कि सीहोर सत्र खण्ड के अंतर्गत आते हैं, (अधिसूचना क्रमांक –1–6–89 / 21–ब (एक)भोपाल, दिनांक 24.10.09)</p>
		तहसील सीहोर, श्यामपुर एवं इछावर	<p>(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) से संबंधित विशेष प्रकरण सिविल जिला सीहोर का समस्त विद्युत क्षेत्र (आष्टा, नस.गंज, बुदनी के विद्युत क्षेत्र की अधिकारिता को छोड़कर) अधिसूचना कं. बी / 2200 (विद्युत अधिनियम) / तीन –6–4 / 2003 जबलपुर दिनांक 29.06.20</p>
		तहसील सीहोर, श्यामपुर, इछावर	<p>(1) नियमित व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 1,00,00,001/- से 5,00,00,000/- (एक करोड़ एक से पांच करोड़ रूपये) तक हो।</p> <p>(2) प्रोविंशियल इन्सोल्वेंशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,001/- से 5,00,00,000/- (एक करोड़ एक से पांच करोड़ रूपये) तक</p> <p>(3) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनाक मूल्यांकन रूपये 500/- से अधिक हो।</p> <p>(4) व्यवहारवाद / आवेदन / याचिका कार्यवाही / अपीलें जो इंडियन आर्बिट्रेशन एवं कांसिलिएशन अधिनियम, 1996 / म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1953 की धारा–6 तथा इंडियन ट्रस्ट एकट, की धारा–2 के अंतर्गत संस्थित किये जावे।</p>
			<p>(5) अभ्यावेदन—THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 snu के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>(6) चुनाव याचिकाएं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सीहोर, श्यामपुर व इछावर क्षेत्र से संबंधित।</p>
			<p>(7) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद / व्यवहार अपीलें / आवेदन / अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।</p>
	प्रथम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण सीहोर		<p>(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण सीहोर से समय—समय पर अंतरण पर प्राप्त हो।</p>
	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000) सीहोर	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मण्डी सीहोर	<p>म.प्र.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामले व कार्यवाही।</p>

	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायालय (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) सीहोर	सिविल जिला सीहोर की स्थानीय सीमाएँ	Banning of Unregulated Deposit schemes Act, 2019(21 of 2019)
4	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर (श्री अभिलाष जैन)	सत्र खण्ड सीहोर	<p>(1) सत्र न्यायालय द्वारा समय—समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण / आपराधिक पुनरीक्षण / आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(2) बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, बलात्संग सहित हत्या और उसके साथ जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।</p> <p>(3) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।</p>
	तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000) सीहोर	आरक्षी केन्द्र दोराहा, श्यामपुर, अहमदपुर एवं बिलकिसगंज, इछावर	म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामले व कार्यवाही।
	तृतीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीहोर	व्यवहार जिला सीहोर	<p>(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद / व्यवहार अपीले / आवेदन / अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।</p> <p>(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीहोर से समय—समय पर अंतरण पर प्राप्त हो।</p>
5	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा (श्री सुरेश कुमार चौबे)	सत्र खण्ड सीहोर	<p>(1) सत्र न्यायालय द्वारा समय—समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण / आपराधिक पुनरीक्षण / आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(2) आरक्षी केन्द्र आष्टा एवं पार्वती के क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं अन्य विभागों के द्वारा दर्ज अपराध से संबंधित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438, 439 एवं 440 दोप्र०सं०</p> <p>(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) से संबंधित विशेष प्रकरण जो आष्टा, जावर, सिद्दीकगंज एवं पार्वती क्षेत्र से उद्भुत हो। अधिसूचना क्र. 17 (ई), 83 / 03 / 21 –ब (एक), दिनांक 24.07.2010 एवं उच्च न्यायालय पृष्ठांकन क्र. सी / 3424 / जबलपुर दिनांक 22.08.2017</p>
	आरक्षी केन्द्र आष्टा, जावर, सिद्दीकगंज, पार्वती		<p>(4) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।</p> <p>(5) बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, बलात्संग सहित हत्या और उसके साथ जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।</p>

	तहसील आष्टा, जावर	(1) नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन व विविध कार्यवाहियां जिनका वाद मूल्य रूपये 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रुपये) से अधिक हो। (2) लघू वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 500/- से अधिक हो। (3) नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें जो कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आष्टा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड आष्टा के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों से उद्भूत हो। (4) प्रोविंशियल इन्सोल्वेंशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,001/- से अधिक हो। (5) व्यवहारवाद/आवेदन/याचिका/कार्यवाही/ अपीलें जो इंडियन आर्बिट्रेशन एवं कांसिलिएशन अधिनियम, 1996 / म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1953 की धारा-6 तथा इंडियन ट्रस्ट एकट, की धारा-2 के अंतर्गत संस्थित किये जावे।	
		(6) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (मान. उच्च न्यायालय का ज्ञापन क. IV A/191/III-6-3/85 (Part IV) Dated 18.01.1998) विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारतीय तलाक अधिनियम, 1969 तथा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 तथा मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम, 1939 संरक्षक एवं प्रतिपात्य अधिनियम, 1890 से संबंधित समस्त प्रकरण। (7) चुनाव याचिकाएं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत। (8) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद/व्यवहार अपीलें/ आवेदन/अभ्यावेदन तथा याचिकाएं। (9) अभ्यावेदन – THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 snu के अंतर्गत प्रकरण।	
	प्रथम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आष्टा	(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो थाना जावर, सिद्दीकगंज क्षेत्राधिकार से उद्भुत हो। प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000) आष्टा	
6	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश आष्टा (श्री कंचन सक्सेना)	आरक्षी केन्द्र आष्टा, जावर, सिद्दीकगंज, पार्वती	(1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामले व कार्यवाही। सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण/ आपराधिक पुनरीक्षण/आपराधिक अपील/ जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।

			(2) आरक्षी केन्द्र जावर एवं सिद्धीकगंज, के क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं अन्य विभागों के द्वारा दर्ज अपराध से संबंधित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438, 439 एवं 440 द0प्र0सं0 (विशेष न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय अपराध से संबंधित मामलों को छोड़कर)	
	तहसील आष्टा एवं जावर	(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद / व्यवहार अपीलें / आवेदन / अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।		
		(2) नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें जो कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आष्टा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड आष्टा के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों से उद्भूत हो।		
	द्वितीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आष्टा	(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो थाना आष्टा, पार्वती क्षेत्राधिकार से उद्भुत हो।		
7	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, भैरुदा (नसरुल्लागंज) जिला सीहोर (श्री रविन्द्र कुमार शाम)	सत्र खण्ड सीहोर आरक्षी केन्द्र नसरुल्लागंज, रेहटी, एवं गोपालपुर	(1) सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण / आपराधिक पुनरीक्षण / आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां। (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही। (रेहटी का जो क्षेत्र भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है) (3) बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, बलात्संग सहित हत्या और उसके साथ जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही। (4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) से संबंधित विशेष प्रकरण जो भैरुदा (नसरुल्लागंज) एवं रेहटी क्षेत्र से उद्भुत हो (रेहटी का जो क्षेत्र भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील के अंतर्गत आता है)। (रजिस्ट्री अधिसूचना क. ए/ 2073 दिनांक 22.04.2023) (5) आरक्षी केन्द्र भैरुदा (नसरुल्लागंज), गोपालपुर एवं रेहटी (रेहटी का जो क्षेत्र भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील के न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है) के क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं अन्य विभागों के द्वारा दर्ज अपराध से संबंधित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438, 439 एवं 440 द0प्र0सं0 (विशेष न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय अपराध से संबंधित मामलों को छोड़कर)	

<p>तहसील नस. गंज एवं रेहटी</p>	<p>(1) नियमित व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 1,00,00,001/- से 5,00,00,001/- से (एक करोड़ एक से पांच करोड़ एक) से अधिक हो। (रेहटी का जो क्षेत्र भैरुंदा (नसरुल्लागंज) तहसील के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है)</p> <p>(2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 500/- से अधिक हो।</p> <p>(3) नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अति.न्यायाधीश, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों से उद्भूत हो।</p> <p>(4) प्रोविशियल इन्सोल्वेंशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 5,00,00,001/- से अधिक हो।</p> <p>(5) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (मान. उच्च न्यायालय का ज्ञापन क. IV A/191/III-6-3/85 (Part IV) Dated- 18.01.1998) विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारती तलाक अधि., 1969 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि., 1956 तथा मुस्लिम विवाह तलाक अधि., 1939 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>(6) अभ्यावेदन—THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 snu के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>(7) व्यवहारवाद / आवेदन / याचिका / कार्यवाही / अपीलें जो इंडियन आर्बिट्रेशन एवं कांसिलिएशन अधिनियम, 1996 / म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1953 की धारा-6 तथा इंडियन ट्रस्ट एकट, की धारा-2 के अंतर्गत संस्थित किये जावे।</p> <p>(8) चुनाव याचिकाएं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत।</p> <p>(9) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद / व्यवहार अपीलें / आवेदन / अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।</p>	
<p>द्वितीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नसरुल्लागंज</p>	<p>आरक्षी केन्द्र रेहटी एवं गोपालपुर</p>	<p>(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो थाना भैरुंदा (नसरुल्लागंज), रेहटी, गोपालपुर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत हो। (रेहटी का जो क्षेत्र भैरुंदा (नसरुल्लागंज) तहसील के अंतर्गत आता है)</p>

	द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000) भैरुंदा (नसरुल्लागंज)	आरक्षी केन्द्र भैरुंदा (नसरुल्लागंज), गोपालपुर, रेहटी (रेहटी का जो क्षेत्र भैरुंदा (नसरुल्लागंज) तहसील के अंतर्गत आता है)	म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामले व कार्यवाही।
8	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी जिला सीहोर (डॉ. वैभव विकास शर्मा)	सत्र खण्ड सीहोर (1) तहसील बुदनी एवं उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र बुदनी, शाहगंज व रेहटी (रेहटी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है)	(1) सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण / आपराधिक पुनरीक्षण/आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां। (2) ग्रम न्यायालय बुदनी द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील। (3) तहसील बुदनी एवं उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं अन्य विभागों के द्वारा दर्ज अपराध से संबंधित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438, 439 एवं 440 द०प्र०सं०। (4) लेंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही। (5) बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, बलात्संग सहित हत्या और उसके साथ जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही। (6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) से संबंधित विशेष प्रकरण जो बुदनी, एवं रेहटी क्षेत्र से उद्भुत हो (रेहटी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है)। (रजिस्ट्री अधिसूचना क्र. ए/2073 दिनांक 22.04.2023)
	तहसील बुदनी एवं रेहटी (वह ग्राम जो बुदनी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो)	(1) नियमित व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक से अधिक) हो। (रेहटी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है) (2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 500/- से अधिक हो। (3) नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, एवं व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बुदनी तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बुदनी के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों से उद्भूत हो।	

		(4) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (मान. उच्च न्यायालय का ज्ञापन क. IV A/191/III-6-3/85 (Part IV) Dated 18.01.1998) विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारतीय तलाक अधिनियम, 1969 तथा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 तथा मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम, 1939 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित समस्त प्रकरण।
		(5) व्यवहारवाद / आवेदन / याचिका / कार्यवाही / अपीलें जो इंडियन आर्बोट्रेशन एवं कांसिलिएशन अधिनियम, 1996 / म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1953 की धारा-6 तथा इंडियन ट्रस्ट एक्ट, की धारा-2 के अंतर्गत संस्थित किये जावे।
		(6) प्रोविशियल इन्सोल्वेंशी एक्ट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,000/- (एक करोड़ एक से अधिक) हो।
		(7) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद / व्यवहार अपीलें / आवेदन / अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।
		(8) अभ्यावेदन— THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 snu के अंतर्गत प्रकरण।
अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बुदनी	तहसील बुदनी एवं उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र	(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो तहसील बुदनी एवं उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत हो। (रेहटी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है)
अति. सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000) बुदनी	तहसील बुदनी एवं उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र बुदनी, शाहगंज व रेहटी (रेहटी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है)	म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामले व कार्यवाही।
9 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर (श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)	तहसील सीहोर एवं श्यामपुर	(1) नियमित व्यवहार वाद एवं संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये (5,00,001/- से 1,00,00,000/- (पाँच लाख एक रूपये से एक करोड़ रूपये) तक हो। (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हों को छोड़कर)
		(2) व्यवहार वाद प्रकरण / आवेदन / याचिका एवं अन्य कार्यवाहियां जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित की जावे।

			(3) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध / निष्पादन प्रकरण
			(4) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन 01/- से 500/- रुपये तक हो।
			(5) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
			(6) प्रोविशियल इन्सोल्वेंशी एक्ट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रुपये, 1,00,00,000/- से अधिक न हो।
			(7) अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित।
			(8) व्यवहार वाद प्रकरण / आवेदन / याचिका एवं अन्य कार्यवाहियां जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित की जावे।
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सीहोर एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सीहोर (सुश्री निधु श्रीवास्तव)	तहसील सीहोर एवं श्यामपुर	(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण । (2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध / निष्पादन प्रकरण ।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर (श्रीमती राखी सिकरवार)	तहसील सीहोर एवं श्यामपुर	(1) नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रुपये 01/- से 5,00,000/- (एक रु. से पांच लाख रु.) तक हो। (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हो को छोड़कर) (2) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण । (3) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध / निष्पादन प्रकरण ।
12	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सीहोर (सुश्री इकरा मिन्हाज)	तहसील सीहोर एवं श्यामपुर	(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण । (2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध / निष्पादन प्रकरण ।

13	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सीहोर (श्रीमती शुभा रिचारिया दीक्षित)	तहसील सीहोर एवं श्यामपुर	<p>(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>(2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीहोर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, इछावर (श्री जितेन्द्र सिंह परमार)	तहसील इछावर	<p>(1) नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 1,00,00,000/- (एक रूपये से एक करोड़ रूपये) तक हो।</p> <p>(2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन 01/- से 500/- रूपये तक हो।</p> <p>(3) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(4) प्रोविशियल इन्सोल्वेंशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,000/- से अधिक न हो।</p> <p>(5) अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित।</p> <p>(6) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p> <p>(7) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आष्टा के न्यायालय के प्रथम अंतिरिक्त न्यायाधीश, आष्टा (श्रीमती वंदना त्रिपाठी)	तहसील आष्टा, जावर	<p>(1) नियमित व्यवहार वाद एवं संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये (5,00,001/- से 50,00,000/- (पाँच लाख एक रूपये से पचास लाख रूपये) तक हो।</p> <p>(2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन 201/- से 500/- रूपये तक हो।</p> <p>(3) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(4) प्रोविशियल इन्सोल्वेंशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,000/- से अधिक न हो।</p> <p>(5) अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित।</p> <p>(6) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p> <p>(7) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>

16	<p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आष्टा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, आष्टा</p> <p>(श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रजवी)</p>	तहसील आष्टा, जावर	<p>(1) नियमित व्यवहार वाद एवं संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये (50,00,001/- से 1,00,00,000/- (पचास लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये) तक हो।</p> <p>(2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p> <p>(3) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
17	<p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आष्टा</p> <p>(सुश्री आयुषी गुप्ता)</p>	तहसील आष्टा, जावर	<p>(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>(2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
18	<p>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आष्टा</p> <p>(श्रीमती ऋचासिंह राजावत)</p>	तहसील आष्टा, जावर	<p>(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>(2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
19	<p>तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आष्टा</p> <p>(श्रीमती रिचा जैन)</p>	तहसील आष्टा, जावर	<p>(1) नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 5,00,000/- (एक रु. से पांच लाख रु.) तक हो।</p> <p>लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन 01/- से 200/- रूपये तक हो।</p> <p>(2) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>(3) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
20	<p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, भैरुंदा</p> <p>(नसरुल्लागंज)</p> <p>(श्रीमती सुनीता गोयल)</p>	तहसील भैरुंदा (नसरुल्लागंज) रेहटी	<p>(1) नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 1,00,00,000/- (एक रुपये से एक करोड़) तक हो। (नवनिर्मित तहसील रेहटी में सम्मिलित उन ग्रामों से संबंधित मामले जो पूर्व में भैरुंदा (नसरुल्लागंज) तहसील में रहे हैं।)</p> <p>(2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन 01/- से 500/- रूपये तक हो। (नवनिर्मित तहसील रेहटी में सम्मिलित उन ग्रामों से संबंधित मामले जो पूर्व में भैरुंदा (नसरुल्लागंज) तहसील में रहे हैं।)</p> <p>(3) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।</p>


			(4) प्रोविशियल इन्सोल्वेंशी एक्ट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रुपये, 1,00,00,000/- से अधिक न हो।
			(5) अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित।
			(6) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण
			(7) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
21	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज (श्रीमती भावना जाटवा)	तहसील भैरुदा (नसरुल्लागंज) रेहटी	(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
22	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, एवं ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बुदनी (श्री अरविन्द श्रीवास्तव)	तहसील बुदनी, रेहटी (1)	(2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण। नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रुपये 5,00,001/- से 1,00,00,000/- (रुपये पाँच लाख एक से एक करोड़ रुपये) तक हो। (नवनिर्मित तहसील रेहटी के उन ग्रामों को छोड़कर जो पूर्व में भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील के भाग थे एवं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हो को छोड़कर)
			(2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन 01/- से 500/- रुपये तक।
			(3) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
			(4) प्रोविशियल इन्सोल्वेंशी एक्ट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रुपये, 1,00,00,000/- से अधिक न हो।
			(5) अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित।
			(6) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
			(7) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण
		जनपद पंचायत बुदनी	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो बुदनी नगर पालिका / नगर पंचायत की सीमा की अधिकारिता को छोड़कर जनपद पंचायत, बुदनी के क्षेत्र से उद्भूत हो।

23	व्यवहार न्यायाधीश खण्ड, बुदनी (श्री कुणाल वर्मा)	कनिष्ठ तहसील बुदनी, रेहटी (1)	<p>नियमित व्यवहार वाद एवं संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये (01/- से 5,00,000/- (रूपये एक से पांच लाख) तक हो। (नवनिर्मित तहसील रेहटी के उन ग्रामों को छोड़कर जो पूर्व में भैरूंदा (नसरुल्लागंज) तहसील के भाग थे एवं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हों को छोड़कर)</p> <p>(2) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>(3) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण</p>
----	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

टिप्पणी:-

- 1 इस कार्यविभाजन आदेश से पूर्व में लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 2 आपराधिक अपीलें /आपराधिक निगरानी/ सत्र प्रकरण प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा एवं प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश भैरूंदा (नसरुल्लागंज) एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी के द्वारा पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय सीहोर को पूर्वानुसार भेजे जावेंगे।
- 3 तहसील सीहोर, आष्टा, बुदनी एवं भैरूंदा (नसरुल्लागंज) के अति. सत्र न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र संबंधित अति. सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में बिना उर्पण के ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे, उन्हें सत्र न्यायालय सीहोर में सत्र प्रकरण की पंजी में विविष्ट किये जाने के लिये भेजा जावेगा तथा अभियुक्त / अभियुक्तगण से संबंधित समस्त कार्यवाही अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर, आष्टा, बुदनी एवं नसरुल्लागंज जैसी भी स्थिति में हो के द्वारा की जावेगी।
- 4 तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) सीहोर की अनुपस्थिति में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी) सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 5 प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर की अनुपस्थिति में, विद्युत अधिनियम से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 6 प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा की अनुपस्थिति में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश आष्टा, एवं इनकी अनुपस्थिति में तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 7 प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा की अनुपस्थिति में, विद्युत अधिनियम से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश आष्टा एवं इनकी अनुपस्थिति में प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश सीहोर / विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 8 द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, भैरूंदा (नसरुल्लागंज) की अनुपस्थिति में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई, अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी एवं इनकी अनुपस्थिति में तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।

- 9 द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, भैरुंदा (नसरुल्लागंज) की अनुपस्थिति में, विद्युत अधिनियम से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी एवं इनकी अनुपस्थिति में प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश सीहोर / विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 10 अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी की अनुपस्थिति में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई, द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, भैरुंदा (नसरुल्लागंज) एवं इनकी अनुपस्थिति में तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 11 अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी की अनुपस्थिति में, विद्युत अधिनियम से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, भैरुंदा (नसरुल्लागंज) एवं इनकी अनुपस्थिति में प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश सीहोर / विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 12 मुख्यालय सीहोर में कार्यरत तृतीय जिला न्यायाधीश, सीहोर को पॉक्सों एकट के प्रकरणों की सुनवाई किये जाने हेतु विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों एकट) सीहोर के पद पर नामांकित किया गया है एवं विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर के न्यायालयों का समस्त प्रकार का सिविल कार्य अंतरित किया गया है एवं उनके न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वाद, व्यवहार अपील, निष्पादन प्रकरण, वलेम प्रकरण, आवेदन, अभ्यावेदन तथा याचिकाएं एवं अन्य कार्यवाहियां से उत्पन्न, कार्यवाहियों की सुनवाई, प्रथम जिला न्यायाधीश, सीहोर के द्वारा की जावेगी।
- 13 तहसील न्यायालय आष्टा के समस्त मजिस्ट्रेटगण अपने न्यायालयों के कमिट्टियों को योग्य प्रकरणों को थाने अनुसार (विशेष न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय अपराध से संबंधित मामलों को छोड़कर), थाना पार्वती, जावर से उत्पन्न क्षेत्राधिकार के प्रकरण प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा के न्यायालय में एवं थाना आष्टा, सिद्दीकगंज से उत्पन्न क्षेत्राधिकार के प्रकरण द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा के न्यायालय में थाने अनुसार कमिट करें।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

अनुलग्न-अ


इस न्यायिक जिला स्थापना पर स्थापित, कॉलम 2 में उल्लेखित एवं पदस्थ निम्न न्यायाधीशों के किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य उनके समुख दर्शाये गये उपरिथित न्यायाधीशगण द्वारा कमानुसार संपादित किया जायेगा:-

क.	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	कॉलक नं. 2 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलक नं. 2 व 3 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलक नं. 2, 3 व 4 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), सीहोर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर
2	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर
	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) / विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एक्ट) सीहोर	मुख्यालय पर उपरिथित वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायाधीश, (NDPS & SC/ST (Prevention of Atrocities) एक्ट के प्रकरण	तहसील न्यायालय में उपरिथित वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायाधीश, (NDPS & SC/ST (Prevention of Atrocities) एक्ट के प्रकरण	1—सत्र न्यायाधीश (NDPS & SC/ST (Prevention of Atrocities) एक्ट के प्रकरण 2—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के द्वारा केवल SC/ST (Prevention of Atrocities) एक्ट के प्रकरणों में तभी सुनवाई करेंगे जब मुख्यालय सीहोर व तहसील न्यायालय के समस्त अति. सत्र न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश अवकाश पर हो)
3	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (भ्रष्टाचार निवारण अधि. के प्रकरण
4	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), सीहोर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर

क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	कॉलक नं. 2 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलक नं. 2 व 3 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलक नं. 2, 3 व 4 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर
1	2	3	4	5
22	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुदनी	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, द्वारा विचारणीय प्रकरणों हेतु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुदनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	उक्त की अनुपस्थिति में मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, सीहोर
23	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुदनी	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुदनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, नसरुल्लागंज

नोट:-

- 1 सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय में अवकाश के दौरान एवं विशेष डियूटी में बाहर प्रवास के दौरान प्रस्तुत द्वितीय या उससे अधिक जमानत आवेदन पत्र अथवा ऐसे जमानत आवेदन पत्र जिनके सह अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण प्रभारी अधिकारी के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा किया गया हैं, ऐसे जमानत आवेदन पत्र मेरे अवकाश/विशेष डियूटी में बाहर प्रवास पर रहने के दौरान उसी न्यायालय में निराकरण हेतु अंतरित माने जावेंगे।
- 2 बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के अपराधों में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सत्र न्यायाधीश के अवकाश के दौरान उक्त अपराधों के लिये अधिसूचित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय को स्वतः अंतरित माने जावेंगे।
- 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय, सीहोर की अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश द्वारा एवं सत्र न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने पर मुख्यालय पर पदरथ वरिष्ठतम् अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा देखे जावेंगे।
- 4 उक्त तालिका के क्रमांक 21 के समक्ष वर्णित न्यायिक अधिकारी के उपस्थित होने के दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीहोर (म.प्र.)


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

अनुलग्न-ब

इस न्यायिक जिला स्थापना पर स्थापित, कॉलम नं. 2 में उल्लेखित न्यायालय में पदस्थ न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के कारण एवं उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना नहीं होने के फलस्वरूप (रिक्त न्यायालय) द्वारा निराकृत सांपत्तिक प्रकरणों से उत्पन्न प्रवर्तन प्रकरण एवं अन्य समस्त आवेदन पत्रों को प्राप्त करने एवं उनका विधिवत निराकरण करने का कार्य, कॉलम नं. 3 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा :—

क्र.	रिक्त न्यायालय का नाम	प्राधिकृत न्यायिक अधिकारी का पदनाम
1	2	3
1	1—प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय के प्रथम / द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर 2—तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (एफ.टी.सी.) 3—प्रथम विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), सीहोर 4—द्वितीय अपर जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	1. प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 2. तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 3. विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), सीहोर (सांपत्तिक, आपराधिक एवं अन्य समस्त प्रकरण)
2	1—द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) आष्टा, 2—द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) आष्टा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आष्टा	1. प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा 2. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा 3. मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर (सांपत्तिक, आपराधिक एवं अन्य समस्त प्रकरण)
3	प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	1. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज 2. जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी 3. मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर (सांपत्तिक, आपराधिक एवं अन्य समस्त प्रकरण)
4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सीहोर के न्यायालय के प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर 2. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर (सांपत्तिक, आपराधिक एवं अन्य समस्त प्रकरण)
5	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, इछावर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, इछावर 2. मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर
6	1—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सीहोर के न्यायालय के प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम / षष्ठम / सप्तम / अष्टम / नवम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश), सीहोर 2—तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर 3—षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर 2. उक्त अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर
7	1—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नसरुल्लागंज 2—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, नसरुल्लागंज 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज 3. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ / वरिष्ठ खण्ड, बुदनी

8	<p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, आष्टा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 आष्टा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आष्टा</p>	<p>1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आष्टा (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के प्रकरणों की सुनवाई हेतु) 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आष्टा (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के प्रकरणों की सुनवाई हेतु) 3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आष्टा के न्यायालय के प्रथम / द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, आष्टा</p>
9	<p>अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बुदनी</p>	<p>1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुदनी (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के प्रकरणों की सुनवाई हेतु) 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुदनी</p>



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीहार (म.प्र.)